Tuctuns

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
सतपुडा भवन म0प्र0 भोपाल

Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450,Email:Apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / संरक्षण / वन अपराध / 2013 / 10–10 / 2241 भोपाल, दिनाक 12 / 07 / 2013

पृ.क्र. | पिछला | अगला

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
वन वृत्त म0प्र0

विषयः–वर्षा ऋतु में अवैध कटाई, अतिक्रमण एवं अवैध शिकार पर नियंत्रण रखने के संबंध में ।

संदर्भः– प्र0मु0व0स0(कक्ष–संरक्षण) म0प्र0 का पत्र क्रमांक 3203 दिनांक 12 / 07 / 2012 एवं संरक्षण कक्ष का पत्र क्रमांक एफ–8 / 1469 दिनांक 22 / 4 / 2010 ।

––––000––––

विषयांतर्गत जैसा कि आपको विदित ही है कि मानसून के दौरान वन क्षेत्रों में तथा उसके आसपास स्थित क्षेत्र, नदी नालों में पानी भर जाने के कारण मार्ग अवरूद्ध एवं दुर्गम हो जाते है और इन परिस्थितियों में यहॉ पर आवागमन एवं गश्ती बहुत कठिन हो जाती है। ऐसे समय अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा वन क्षेत्रों में प्रवेश कर अपराधिक गतिविधियों, जैसे– अवैध कटाई, अतिक्रमण एवं अवैध शिकार करने की सम्भावना बढ़ जाती है। अतः मानसून के दौरान पूर्व वर्षो की भॉति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के लिए विशेष रणनीति अपनानी होगी। आपके वृत्त के अंतर्गत समस्त क्षेत्रीय वन मण्डलों के लिये सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें, रणनीति एवं गश्ती योजना तैयार करे, तदानुसार कार्यवाही करें ।

1. मुख्य वन संरक्षक अपने–अपने वन वृत्तों में इस तरह के संवेदनशील और वर्षाकाल में आवागमन से कट जाने वाले वन क्षेत्रों की पहचान करे। इन वन क्षेत्रों में पैदल गश्ती सुनिश्चित करावें, इस हेतु टीमों का गठन करें । गठित टीमें अपना कार्य सुचारू तरीके से कर रही हैं अथवा नही, इसकी समय–समय पर समीक्षा करते रहें और इस तरह के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी दें। पैदल गश्ती में बीट गार्ड व अन्य कर्मचारी तथा अधिकारी भी अनिवार्य रूप से अवैध कटाई हेतु कुख्यात क्षेत्रों का पैदल गश्त करे । पैदल गश्ती का अभिलेख अनिवार्य रूप से रखा जावे तथा अधिकारी द्वारा समय समय पर इन अभिलेखों का परीक्षण किया जावे ।

2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को 25 जुलाई 2013 तक अनिवार्य रूप से जानकारी देंवें कि उन्होने अपने वृत्त में इस वर्षाकाल 2013 में अवैध वन अपराधों के लिये संवेदनशील वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये विशेष अभियान हेतु क्या उपाय किये है।

3. अतिक्रमण हेतु ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जावे।

(51)

पृ.क्र.- | जावेगा | अगला

सामूहिक अतिक्रमण के प्रयास में जिला टास्क फोर्स की सहायता ली जावे। संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को विशेष रूप से पाबंद किया जावे ।

4. समस्त वन चौकियों की समीक्षा की जाकर उन्हे सुदृढ़ बनाया जावे, वन चौकी के क्रियाकलापों की जॉच की जावे कि वे सही कार्य कर रही है ।

5. अवैध कटाई के लिये संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर, उनके लिये विशेष योजना बनाई जावे। अवैध कटाई, अवैध परिवहन एवं अवैध काष्ठ के उपयोगकर्ताओं को पहचान कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे ।

6. वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 के पत्र कमांक 3529 दिनांक 20/6/2013 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

7. वन मण्डल के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार बीट निरीक्षण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करे एवं नियमित समीक्षा कर, इस कार्यालय को भी प्रगति से अवगत करावे ।

8. क्षेत्र में घटित अप्रत्याशित वन अपराधों एवं दुर्घटनाओं की जानकारी से तत्काल वन मुख्यालय को अवगत करावें ।

12.7.13

(आर0एस0नेगी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

पृ0कमांक/संरक्षण/वन अपराध/2013/10-10/2842 भोपाल, दिनाक 12/07/2013
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त वन मण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

12.7.13

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

E:\DHARMENDRA SAXENA DATA B4 _23_02_2012\General_letter_09 actual 2012.doc